

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.2(3)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक : 08.01.2018

आदेश

16

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर निम्नांकित वरिष्ठ विशेषज्ञ को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर (वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड पे 8700/-) पदोन्नत किया जाता है, सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारी यथावत पदस्थापित रहेंगे।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्तरोग)

क.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	आयोग द्वारा चि. अ. के पद पर चयन वर्ष	वि.प.स. कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर द्वारा चयन वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1.	प्रतिभा जैन	सामान्य	10.04.66	1991	क.वि. 2010-11	01.04.17

- नोट:
- सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त चिकित्सकों से अचल सम्पत्ति का विवरण एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार बच्चों की सूचना प्राप्त कर ही आवश्यक कार्यवाही करें।
 - उक्त चिकित्सकों का सहायक लेखाधिकारी द्वारा चिकित्सक की सर्विस बुक से पूर्ण सेवा सत्यापन एवं वेतन स्थरीकरण की जांच करने के उपरान्त वेतन निर्धारण करने की अनुशंसा के आधार पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगे।
 - उक्त चिकित्सकों के आरोप पत्र/असाधारण अवकाश या सेवा में व्यवधान/अनुपस्थित होने पर वेतन निर्धारण नहीं कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
 - उक्त चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. अन्तर्गत उक्त वेतनमान में वेतन का निर्धारण इनके कुल कैडर का 18 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावे तथा शेष रहे चिकित्सक को डेजिगनेट ही किया जावे। कैडर एवं डेजिगनेट का निर्धारण निदेशक, जन स्वास्थ्य के द्वारा किया जावेगा।
 - जिला एवं जोनल मुख्यालय पर प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापित होंगे एवं मुख्यालय (निदेशालय) में इन्हें अपर निदेशक के रूप में डेजिगनेट किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक/श्रम एवं नियोजन विभाग
- 5- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. सी. एल., जयपुर।
- 6- संबंधित कमाण्डर, आर. ए. सी./पुलिस महानिदेशक/मुख्य कार्य. अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद
- 7- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
- 8- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर. एफ. पी. टी. सी.
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की बेवसाईड पर अपलोड करावें।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव